<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 17/02/2016 को आयोजित 128वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 128 वीं बैठक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री पी.एस.जयकुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री राजीव सिंह ठाकुर, सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार, डॉ. नीरज कुमार पवन, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, श्री पी.एन. शर्मा, उप निदेशक, उद्योग, राजस्थान सरकार, श्री अर्णव रॉय, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमति सरिता अरोरा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री पल्लव महापात्र, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। ***(संलग्न सूची के अनुसार)***

संयोजक, एस.एल.बी.सी., राजस्थान द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया।

बैठक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उदबोधन में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियांवयन में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में एस.एल.बी.सी. की भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि एस.एल.बी.सी., राजस्थान एक सक्रिय फोरम के रूप में कार्य कर रहा है जो कि बैंकों तथा विभिन्न हितग्राहियों के आपसी सक्रिय सहयोग से सम्भव हो पाया है। उन्होनें राज्य मे बैंकों के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स यथा बैंक जमाएं, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण, कृषि, वार्षिक साख योजनांतर्गत प्रगति, साख जमा अनुपात (CD Ratio), कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण इत्यादि के तहत संतोषप्रद उपलब्धियां दर्ज की गई हैं, उनके उदबोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे:-

- राज्य में बैंक जमाओं तथा अग्रिमों में वृद्धि दर सराहनीय रही है एवं राज्य में कार्यरत सभी बैंक इस हेतु प्रशंसा के पात्र हैं।
- राज्य में CD Ratio 94.05% है, जो कि बेंचमार्क और राष्ट्रीय औसत से अधिक है ।
- वित्तीय समावेशन अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियांवयन में बैंकों की भूमिका की सराहना की तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के शून्य बैलेंस खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से निधिकरण (Funding) कर जमा संग्रहण पर जोर दिया।
- कौशल विकास को महत्वपूर्ण प्राथमिकता देते हुए बताया कि कौशल विकास के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता भी एक आवश्यक घटक है, जिससे कि व्यक्ति बैंक ऋण के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कर स्वंय का विकास कर सके एवं समय पर ऋण भुगतान कर आवश्यकतानुसार दुबारा ऋण लेते हुए व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन करते हुए अन्य बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवा सके ।
- वार्षिक साख योजना के तहत दिसम्बर 2015 तक प्राप्त उपलब्धि को सराहनीय बताया।
- विश्व बाज़ार में बेहतर कमाई हेतु प्रभावी आपूर्ति शृंखला (Proper Supply Chain Management) की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके ।
- कृषि के क्षेत्र में प्रभावी निवेश नहीं होने पर चिंता व्यक्त की तथा कृषकों की क्षमता निर्माण (Capacity Creation) करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता बतलायी जिससे कि कृषि क्षेत्र में बेहतर रोजगार निर्माण हो सके एवं अर्थव्यवस्था में वृद्धि परिलक्षित हो सके ।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार 5000 से ऊपर आबादी वाले गांवों में बैंक शाखा खोलने के कार्य के साथ-साथ भुगतान प्रणाली (Payment System) को मजबूत और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता

पर बल देते हुए बताया कि इसके लिए जरूरी है कि सभी बैकिंग लेन-देन संव्यवहार इलेक्ट्रोनिक रूप से हो, ए.टी.एम. एवं वैकल्पिक वितरण प्रणाली (Alternate Delivery Channel) के प्रयोग को बढाया जाये व मोबाईल के माध्यम से भुगतान समाधान (Payment Solution) को अधिक सुदृढ़ किया जाये।

- बैंकों के बढ़ते हुए एन.पी.ए. स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होने वसूली हेतु एक माहौल बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए राज्य सरकार स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना अंतर्गत राज्य के 3 जिलों (पाली, झुंझुनूं और कोटा) में केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से केरोसीन सब्सिडी राशि लाभार्थियों के खातों मे हस्तानांतरित करने हेतु लिए गये निर्णय से अवगत करवाया तथा बैंकों एवं राज्य सरकार से इस बाबत आवश्यक अग्रिम तैयारी हेतु अनुरोध किया।

उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया ।

इसके पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गयी ।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1) विगत **127** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:-

1. ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना

सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की 4216 बैंक शाखाओं में से 3609 शाखाओं (85.60%), अन्य वाणिज्यिक बैंक की 892 शाखाओं में से 751 शाखाओं (84.19%), ग्रामीण बैंकों की 1367 शाखाओं में से 12 शाखाओं (0.88%), सहकारी बैंकों की 612 शाखाओं में से 02 शाखा (0.33%) में ही Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध है ।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि उनके बैंक द्वारा 8 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किये गये हैं तथा White label ए.टी.एम. स्थापित करने हेतु वक्रांगी के साथ टाईअप किया गया लेकिन वक्रांगी द्वारा अंतिम क्षणों में ए.टी.एम. स्थापित करने का निर्णय वापिस लेने के कारण Hitachi Payment Services Pvt. Ltd. के साथ टाईअप किया गया है तथा मार्च 2016 तक 50 White label ए.टी.एम. स्थापित करने हेतु बैंक द्वारा तय किये गये लक्ष्य से सूचित किया ।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत करवाया कि उन्हे प्रायोजक बैंक के ग्रुप लीडर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से 290 ऑन-साईट ए.टी.एम. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की शाखाओं में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा 290 शाखाएं इस बाबत चिन्हित कर ली गयी हैं, 31 मार्च 2016 तक 100 ए.टी.एम. स्थापित कर लिये जायेंगे ।

प्रतिनिधि को-ऑपरेटिव बैंक ने सूचित किया कि को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा 14 ए.टी.एम. स्थापित किये हैं लेकिन इन्टर कनेक्टिविटी व्यवस्था नही होने के कारण ए.टी.एम. चालू नही कर पाये तथा अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में कार्यरत सभी 29 CCBs द्वारा ए.टी.एम. स्थापित करने के बारे में अवगत करवाया ।

(कार्यवाही– ग्रामीण एवं को-ऑपरेटिव बैंक)

अध्यक्ष महोदय ने को-ऑपरेटिव बैंक को ए.टी.एम. स्थापित करने में आ रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए सदन के समक्ष मुद्दा रखा।

मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन के तहत प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (PACS) हेतु Deposit Mobilizing Agents (DMA) योजना से अवगत करवाते हुए बताया कि लगभग 1500 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (PACS) को इस स्कीम के अंतर्गत Onboard किया गया है जो कि DCCB से जुड पायेंगी. उन्होने सदन को यह भी अवगत करवाया कि इस वर्ष सहकारी बैंकों हेतु 200 ए.टी.एम. स्वीकृत किये जायेगें तथा इन्हे अगले वर्ष में चालू किया जायेगा।

सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सक्रिय सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र (अटल सेवा केंद्र) निर्मित हैं, उक्त अटल सेवा केंद्रों में एटीएम स्थापित किये जा सकते हैं।

इस क्रम में, **आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार** ने अवगत करवाया कि नाबार्ड की ऋण सहायता से 2000 ग्राम पंचायतो में किसान सेवा केंद्र बनाये गये हैं, उक्त सेवा केंन्द्रों पर भी ए.टी.एम स्थापित किये जा सकते हैं।

2. Allotment of land to RSETIs Alwar & Bharatpur District :

क्षेत्रीय निदेशक ,भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर RSETIs को भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया।

सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने आर-सेटी अलवर एवं भरतपुर भूमि आंवटन से सम्बंधित मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया।

3. To Start functioning of RSETI Alwar :

क्षेत्रीय निदेशक ,भारतीय रिजर्व बैंक ने अवगत करवाया कि राज्य में एकमात्र अवशेष जिला अलवर है जहां आर-सेटी कार्यरत नही हैं तथा पंजाब नेशनल बैंक को वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत करवाने हेतु कहा।

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया कि हमारे प्रधान कार्यालय ने किराये के भवन में RSETI प्रारम्भ करने पर सहमति नही दी है। इस सम्बंध में, RSETI अलवर के संचालन हेतु अस्थायी रूप से एक सरकारी स्कूल भवन को चिन्हित किया गया है तथा सम्बंधित जिला क्लेक्टर से चिन्हित भवन को आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है।

सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने इस सम्बंध में जिला क्लेक्टर को लिखे पत्र की प्रति उनके विभाग को उपलब्ध करवाने हेतु कहा तथा उचित कार्यवाही करने हेतु आश्वाश्त किया।

(कार्यवाही :पंजाब नेशनल बैंक एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

4. Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को राजस्व विभाग के ड्रॉप करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में लिखे पत्र के बारे

में अवगत करवाया गया। इस क्रम में बैठक के अध्यक्ष एवं संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक्ट में संशोधन पर पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वसूली को बढावा देने के लिए पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के नियमों मे संशोधन हेतु अनुरोध किया ।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि एनपीए (NPA) की बढ़ती घटनाएं, बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर रही हैं, अतः वसूली करना बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है । इस हेतु शाखाओं में वसूली का माहौल बनाने की सख्त आवश्यकता पर जोर दिया एवं राज्य में बैंकों द्वारा वसूली हेतु किये जा रहे प्रयास काफी सराहनीय बताए, किंतु सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लगातार बढ़ रहे एन.पी.ए. स्तर को देखते हुए राज्य सरकार से राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन करने के सम्बन्ध में पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं आयोजना विभाग)

एजेण्डा क्रमांक - 2:

शाखा विस्तार: 31 दिसम्बर 2015 तक राज्य में कुल 7087 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं । वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसम्बर तिमाही तक बैंकों द्वारा 283 शाखाएं खोली गयी, जिनमें से 231 (81.62%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों में खोली गयी हैं ।

जमाएँ व अग्रिम: 31 दिसम्बर 2015 को राज्य में 15.33% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल जमाएँ रूपये 2,72,709 करोड़ तथा 14.52% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल ऋण रूपये 2,47,086 करोड़ रहे हैं ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने बताया कि राज्य में कुल जमा एवं अग्रिम की वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि सराहनीय रही हैं एवं अग्रिम एवं जमाओं में वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि के Industry Average से ज्यादा होने के बारे में भी अवगत करवाया तथा को-ऑपरेटिव बैंक से जमा एवं अग्रिम बढ़ाने हेतु अनुरोध किया एवं वार्षिक साख योजना के तहत कृषि के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया ।

प्रतिनधि, को-ऑपरेटिव बैंक ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) कोर बैंकिंग में नही होने तथा पैक्स में लम्बे समय से चल रही हडताल के कारण जमा संग्रहण एवं ऋण वितरण सुचारू रूप से नही हो पाने से सदन को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि मार्च 2016 तक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) कोर बैंकिंग में माइग्रेट होने जा रही हैं तथा जमा एवं अग्रिम बढाने हेतु सम्पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: 31 दिसम्बर 2015 को राज्य में 16.87% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त कुल ऋण रूपये 1,39,309 करोड़ रहा है ।

कृषि क्षेत्र को ऋण: 31 दिसम्बर 2015 को राज्य में 21.54% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त कुल ऋण रूपये 78,784 करोड़ रहा है ।

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: दिसम्बर 2015 को राज्य में 11.31% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त कुल ऋण रूपये 60,525 करोड़ रहा है ।

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 दिसम्बर, 2015 को राज्य में 16.50% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त कुल ऋण रूपये 43,806 करोड़ रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 दिसम्बर, 2015 को राज्य में 22.22% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त कुल ऋण रूपये 11,426 करोड़ रहा है।

राज्य में **कुल अग्रिमों** का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम** 56.38%, **कृषि क्षेत्र को** 31.89%, **कमजोर वर्ग को** 17.73% रहा है जो कि निर्धारित बैंचमार्क से अधिक है।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 31 दिसम्बर, 2015 को राज्य में साख जमा अनुपात 94.05% रहा हैं। जिला स्तर पर 10 जिलों का साख जमा अनुपात 100% से अधिक रहा हैं, 17 जिलों का साख जमा अनुपात 60% से 100% के बीच तथा 2 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से 60% के बीच रहा है। वहीं चार जिलों यथा डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही व उदयपुर में यह अनुपात 40% से 50% के बीच क्रमशः 46.21%, 44.07%, 48.64% व 48.83% रहा है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी ने सितम्बर 2015 की तुलना में दिसम्बर 2015 में डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही व उदयपुर चारों जिलों में साख जमा अनुपात में वृद्धि दर्ज करने के संबंध में समिति को सूचित किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार साख जमा अनुपात वृद्धि में आ रहे अवरोधकों, कारणों का विश्लेषण करने हेतु गठित कमेटी द्वारा सम्बंधित जिलों में विजिट कर अध्ययन किये जाने के बारे में सदन को अवगत करवाते हुए बताया कि दो जिलों (डूंगरपुर एवं राजसमन्द) हेतु एस.एल.बी.सी. को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है एवं शेष जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है, अध्ययन रिपोर्ट का सार आगामी एस.एल.बी.सी. बैठक में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने साख जमा अनुपात पर बनी कमेटी में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि को भी शामिल करने हेतु अनुरोध किया, जिसे समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिसम्बर 2015 माह तक की उपलब्धि 71% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 69%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 98%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 74% की उपलब्धि दर्ज की गई।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा वार्षिक साख योजना (ACP) के तहत शाखाओं को सेगमेंटवार आवंटित लक्ष्य उपलब्धियों को ध्यान में नही रख, पिछले लक्ष्यों के आधार पर आवंटन करने के सम्बंध में सदन को सूचित किया व इस हेतु नियंत्रक बैंक अधिकारियों द्वारा सम्बंधित अग्रणी जिला प्रबंधको को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों को भी ACP तैयार करते समय इस पर संज्ञान लेने हेतु जोर दिया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि वार्षिक साख योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों से लगातार लक्ष्य प्राप्ति 100% से ज्यादा रही है जो कि सभी बैंकों के सहयोग से ही सम्भव हो पाया है एवं इस वर्ष भी लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ आशातीत वृद्धि प्राप्त की जायेगी।

एजेण्डा क्रमांक – 3-

Opening of Banking Outlet in SSAs:

सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में सभी 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA) बैंक शाखा तथा बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं, जिनमें से 7423 उप-सेवा क्षेत्र बी.सी. द्वारा कवर किये गये हैं तथा 1983 उप-सेवा क्षेत्र Brick & Mortar शाखाओं द्वारा कवर किये जा रहे हैं।

Roadmap for covering all unbanked villages of population below 2000:

सदन को अवगत करवाया गया कि 2000 से कम आबादी वाले 35086 बैंक रहित (Unbanked) गांवों को मार्च 2016 तक कवर करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2015 तक सभी गांव कवर कर लिये गये हैं।

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011):

सदन को 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों को कवर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए एस.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों के सहयोग से -171- बैंक रहित गॉव चिन्हित कर विभिन्न बैंकों के मध्य आवंटित करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक को रोडमैप प्रस्तुत कर दिये जाने के बारे में सूचित किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने ऐसी लोकेशन जहॉ BC सक्रिय नही हैं वहॉ eMitra को BC बनाये जाने हेतु सुझाव दिया तथा बैंकों से बी.सी. नेटवर्क बढ़ाने हेतु अनुरोध किया।

इस क्रम में **प्रतिनिधि एस.बी.बी.जे.** द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके बैंक द्वारा प्रत्येक उप सेवा क्षेत्र में दो बी.सी. लगाने का निर्णय लिया गया है।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने BC मॉडल को कार्यशील बनाने हेतु BC को पर्याप्त संसाधन तथा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस बाबत **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक** ने अवगत करवाया कि **बी.सी. की सक्रियता** को जांचने हेतु एस.एल.बी.सी. के तत्वाधान में एक कमेटी गठित की गई है। उक्त कमेटी का उद्देश्य दोषारोपण (Fault Finding) नहीं कर बी.सी. कार्यपद्धति में आ रही बाधाओं का पता लगाना एवं उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाने का आग्रह किया।

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अवगत करवाया कि आर.बी.आई. प्रतिनिधियों की बी.सी. लोकेशन फील्ड विजिट के दौरान कनेक्टिविटी की समस्या बी.सी. सक्रियता में एक बड़ी बाधा के रूप में महसूस की गई है। बी.सी. लोकेशन पर लेन-देन तथा गतिविधियों में कनेक्टिविटी के कारण काफी समय लगाता है एवं इस बाबत राज्य सरकार से सहयोग हेतु अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने वितीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया एवं एस.एल.बी.सी. के तत्वाधान में वित्तीय साक्षरता केन्द्रो (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्र (OCS) जैसे कौशल विकास केन्द्रों मे वित्तीय साक्षरता का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

इस क्रम में उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने उक्त गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्रों (OCS) जैसे कौशल विकास केंद्रों में इस बाबत राज्य सरकार के स्तर से समुचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग एवं SEE / RSLDC)

एजेण्डा क्रमांक – 4:

फसल बीमा: सदन को रबी 2015-16 हेतु राज्य में 13 जिले संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम तथा 20 जिले मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम के अंतर्गत कवर किये जाने के बारे में अवगत करवाया गया तथा प्रीमियम राशि भेजते समय, बीमित कृषकों की सूची, बीमित फसल का ब्यौरा, क्षेत्रफल इत्यादि सॉफ्ट प्रति (परिशिष्ट V) में बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवाने हेतु सूचित किया गया।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि सभी बीमा कम्पनियों को खरीफ 2015 के बीमा क्लेम आगामी 10 दिवस के भीतर निपटान करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है एवं बीमा कम्पनियों द्वारा प्रेषित खरीफ 2015 की बीमा क्लेम राशि रूपये 569 करोड़ विभिन्न बैक शाखाओं में कृषकों के बैंक खातों में जमा होने हेतु लम्बित रहने पर चिंता व्यक्त की एवं इस क्रम में उन्होने 7 दिवस के भीतर लाभांवित कृषकों के खातों में बीमा क्लेम राशि अंतरित किये जाने हेतु सभी बैंकों से आग्रह किया। किसी भी प्रकार के विलम्ब पर राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय दण्ड / दण्डनीय ब्याज दावा प्रभारित किये जाने हेतु भी उन्होनें सूचित किया एवं लाभांवित कृषको के खातों में उक्त क्लेम राशि का भुगतान किया जाने के पश्चात बीमा कम्पनियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु सभी शाखाओं को समुचित दिशा-निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक एवं फसल बीमा कम्पनी)

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने पिछली बैठक में उठाये मुद्दे को दोहराते हुए बीमा कम्पनियों द्वारा कमीशन का भुगतान नही करने एवं मौसम केंद्र (weather station) अचानक बदलने के कारण बीमा कम्पनियों को प्रेषित ज्यादा प्रीमियम की राशि वापिस नही लौटाने जाने हेतु सदन को अवगत करवाया एवं इस सम्बंध में आयुक्त, कृषि से आवश्यक कार्यवाही करने का समिति को आश्वासन दिया।

संयुक्त निदेशक, कृषि (फसल बीमा) राजस्थान सरकार ने एक ही जमीन पर अलग-अलग बैकों से कृषि ऋण लेकर फसल बीमा क्लेम उठाए जाने के मामले संज्ञान में आने से सूचित किया।

उक्त पर प्रतिक्रिया करते हुए **मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक** ने बताया कि एक जमीन पर अलग-अलग बैंकों से कृषि ऋण लेने से सम्बंधित मामलों में चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार रूपये 1.00 लाख तक के कृषि ऋण भूमि को बैंक के पक्ष मे रहन रखे बिना (बगैर सम्पार्शिक प्रतिभूति) प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे मामलों में कृषक वाणिज्यिक / ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने के साथ-साथ सहकारी बैंकों से भी ऋण प्राप्त कर लेते हैं, जिसका बैंक स्तर पर पता लगाना बहुत कठिन होता है। चूंकि बैंक ऋणों हेतु नो-ड्यूज की बाध्यता भी समाप्त करने के उपरांत बैंकों को उक्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि बैंकों द्वारा ऋण जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ कृषकों द्वारा बैंक के पक्ष में रहन दर्ज / प्रभारित कृषि भूमि, बैंक ऋण बकाया होने के उपरांत भी अन्य तृतीय पक्षकार को बेचान किया जा रहा है सम्बंधित पंजीयन कार्यालय द्वारा इस संबंध में तृतीय पक्षकर के हित में

पंजीयन किये गये जा रहे हैं जो कि चिंताजनक एवं बैंकों के हित के विपरीत कृत्य है तथा इस सम्बंध में भरतपुर जिला कलेक्टर द्वारा जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी एवं उपपंजीयक को रहनशुदा भूमियों का तुरन्त प्रभाव से पंजीयन नही करने हेतु निर्देशित किया है । राज्य सरकार से सभी जिलों के जिला क्लेक्टर्स, उपखण्ड अधिकारी एवं उपपंजीयक को इस प्रकार की घटनाओं की पुनर्रावृति रोकने हेतु निर्देशित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया ।

उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने आगामी मौसम से फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कम्पनियों को बीमा प्रीमियम राशि के साथ प्रेषित की जाने वाली बीमित कृषकों की सूची (परिशिष्ठ 5) में IFSC/NEFT का कॉलम समाहित (Insert) करवाने हेतु आयुक्त, कृषि से अनुरोध किया जिससे कि सम्बंधित बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा क्लेम राशि सीधे लाभांवित कृषकों के खातों में अंतरित की जा सके । इस संशोधन से बीमा क्लेम राशि अंतरण में लगने वाले समय में भी कमी आयेगी एवं बैंक शाखाओं से Utilization Certificate प्राप्त करने की आवश्यकता भी नही होगी । इस क्रम में उन्होनें आयुक्त कृषि, राजस्थान सरकार से फसल बीमा हेतु जारी की जाने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना में इस संशोधन का समावेश करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने आगामी बीमा क्लेम राशि सीधे लाभांवित कृषकों के खातों में अंतरण करने हेतु बीमा कम्पनियों को निर्देशित किया एवं आगामी बीमा क्लेम लाभांवित कृषकों के खातों में सीधे ही अंतरण करने हेतु आश्वस्त किया ।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने चुरू जिले में SBBJ एवं PNB की शाखाओं द्वारा वर्ष 2013-14 के संशोधित फसल बीमा क्लेम की राशि को सम्बंधित कृषकों के बैंक खातों में जमा नही करने के संबंध में अवगत करवाया गया ।

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक एवं एस.बी.बी.जे. ने शाखाओं को निदेशित करने एवं उक्त संशोधित क्लेम राशि को सम्बंधित कृषकों के बैंक खातों में जमा करने की कार्यवाही करने हेतु सूचित किया ।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने सभी नियंत्रक बैंकों से कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड देते समय मोबाईल नम्बर पंजीकृत करने हेतु अनुरोध किया जिससे कि डेबिट और क्रेडिट लेनदेनों (Transactions) के संदेश (SMS) किसान तक पहुंच सकें ।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

<u>वसुली- Recovery</u>

समिति को मुख्य सचिव, राजस्थन सरकार के पत्र दिनांक 25.01.2016 द्वारा राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के बारे में अवगत करवाया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी सदस्य बैंकों से राको-रोडा के तहत लम्बित मामलों में राजस्व कर्मचारियों का सहयोग लेकर अपेक्षित वसूली के प्रयासों हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया ।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम अधिक बकाया राशि वाले मामलों को प्राथमिकता देने तथा प्रत्येक बैंक को ऐसे 5-6 मामले जहां बैंक ऋण की बकाया राशि अधिक हो तथा ऋणी आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद बैंक ऋण नही चुका रहा हो, की सूची सहित सम्बंधित जिला क्लेक्टर से सम्पर्क कर वसूली हेतु सुझाव दिया । उक्त ऋणियों से ऋण वसूली पश्चात अन्य ऋण चूककर्ताओं पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा रिकवरी प्रक्रिया को प्रभावी बल मिलेगा ।

इसी क्रम में उन्होनें वसूली में आ रही कठिनाइयों से सम्बंधित खातों का Data Base तैयार करने हेतु आग्रह किया तथा करौली, भरतपुर, डूंगरपुर एवं पाली जिलों में ऋण वसूली में आ रही समस्याओं को हल करने हेतु प्रतिबद्धता जतायी एवं आश्वस्त किया कि अन्य जिलों में भी ऋण वसूली में आ रही समस्याओं के निवारण तथा जिला क्लेक्टर्स से अपेक्षित सहयोग नही मिल पाने की स्थिति में निःसंकोच उनसे सम्पर्क कर सकते हैं ताकि सम्बंधित जिला क्लेक्टर को वसूली में सहयोग हेतु निर्देशित किया जा सके ।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने चिंता व्यक्त करते हुए अवगत करवाया कि जिला क्लेक्टर्स की बहुत सी अन्य प्राथमिकताएं होती हैं तथा राको-रोडा में दर्ज मामलों की वसूली कलेक्टर्स की प्राथमिकता नही होती जिसके कारण वसूली में अपेक्षित सहयोग नही मिला पाता है, परिणामस्वरूप बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर कृषि ऋण मामलों में काफी वृद्धि हो रही है । इस बाबत उन्होने राज्य सरकार से बैंक वसूली हेतु समुचित कदम उठाये जाने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: आयोजना एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने छोटे किसानों हेतु IRAC नियमों को शिथिलीकृत (relaxed) करने हेतु अनुरोध किया, इस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अवगत करवाया कि IRAC नियमों में बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के पॉलिसी मामलों के अंतर्गत आता है जो कि केंद्रीय कार्यालय द्वारा ही किया जाता है इसी क्रम में उन्होने बताया कि उक्त से सम्बंधित सुझाव उनके कार्यालय से केंद्रीय कार्यालय को पूर्व मे ही भेजा जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार से सरफेसी अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा सुरक्षित परिसम्पत्तियों (Secured Assets) का कब्जा प्राप्त करने तथा राको रोडा में दर्ज अन्य मामलों में जिला प्रशासन स्तर से वांछित सहयोग हेतु अनुरोध किया तथा राज्य में बैंक ऋण वसूली प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट गारण्टी फण्ड बनाने की आवश्यकता दर्शाई जिससे कि खातों को गैर निष्पादित होने से बचाया जा सके ।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSY) एवं शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी यथा डाक्टर्स (राजपत्रित अधिकारी) द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र को मान्य (valid) KYC प्रपत्र मानते हुए शून्य राशि से प्रसूता के खाते खोलने हेतु सभी बैंको से अनुरोध किया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने समस्त बैंकों को ***"छोटे खाता खोलने"*** के दिशानिर्देशों को पुनः जारी करने हेतु आश्वस्त किया गया ।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने डीबीटी योजना के तहत यूरिया एवं कृषि उत्पादों पर दी जा रही सब्सिडी को फर्टिलाइजर एवं अन्य कम्पनियों को जारी करने की बजाए हकदार लोगों के बैंक खातों में सीधे

ट्रांसफर/अंतरण करने हेतु पोर्टल विकसित करने पर विचार किया जा रहा है तथा बैंकों से भी सहयोग अपेक्षित है।

एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes:

National Rural Livelihood Mission:

योजना के तहत 31053 SHGs गठित और सहयोजित (Co-opted) किए गये हैं तथा 25417 SHGs को बैंक लिंकेज व 7431 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार ने बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा एस.एच.जी. बैंक लिंकेज मे दिये जा रहे सहयोग की प्रंशसा की तथा NRLM व एस.एच.जी. हेतु अन्य बैंकों द्वारा किये जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए समन्वित प्रयासों पर बल दिया। योजना के तहत शाखा प्रबंधकों की आन्ध्र प्रदेश एवं बिहार राज्यों की Exposure visit करवाये जाने एवं उसके आशातीत परिणाम प्राप्त होने से भी अवगत करवाया।

उन्होंने यह भी बताया कि योजना के अंतर्गत प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं है तथा आगामी वर्ष में अधिकतम आबादी को योजना के तहत कवर करने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण परस्पर सहमति से किये जाने की जरूरत बतायी। इसी क्रम में उन्होनें 100 शाखाओं में बैंक सखी प्रतिनियुक्त करने के आशाजनक परिणाम प्राप्त होने से अवगत करवाया तथा अन्य Single Man एवं दूर दराज की शाखाएं जहां विभिन्न योजनाओं पर कार्य हो रहा है अर्थात मेनपावर की कमी है, वहां पर बैंक सखी की प्रतिनियुक्ति शीघ्र ही करने हेतु सूचित किया तथा RSETI द्वारा सक्षम युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षण देकर एवं कौशल उन्नयन कर मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाये जाने पर बल दिया।

इसी क्रम में उन्होनें दिनांक 06 फरवरी 2016 को सभी बैंकों के साथ आयोजित एस.एच.जी. समीक्षा बैठक का उल्लेख करते हुए बैठक में लिए गये निर्णयों से सदन को अवगत करवाया एवं सभी बैंकों से एस.एच.जी. बैंक लिंकेज एवं क्रेडिट लिंकेज हेतु IBA द्वारा अनुमोदित Common Application Forms स्वीकार करने तथा 18 CRP ब्लॉक में DPM RGAVP द्वारा सम्बंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों से समन्वयन कर ब्लॉकवार क्रेडिट कैम्प आयोजन करने हेतु लिए गये निर्णय से अवगत करवाते हुए उक्त कैम्पों में शाखा प्रबंधकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी शाखाओं को समुचित दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

उन्होनें बताया कि राज्य के चार जिलों अजमेर, अलवर, दौसा एवं उदयपुर में महिला स्वंय सहायता समूहों को एन.आर.एल.एम. द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा इन खातों में बैंक द्वारा 7% की दर ब्याज प्रभारित होना चाहिये जबकि कुछ शाखाओं द्वारा निर्धारित ब्याज प्रभारित नहीं किया जा रहा है, अतः इन जिलों में स्थित बैंक शाखाओं को इस बाबत निर्देशित किये जाने की आवश्यकता जतायी।

सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं मे प्रदत्त लाभ भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है किंतु योजना से सम्बंधित विवरण लाभार्थी की बैंक पासबुक में दर्ज नही हो रहा है। इस सम्बंध मे उन्होनें लाभार्थी के बैंक खाते में स्कीम से सम्बंधित विवरण दर्ज करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि विभिन्न विभाग जो कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों के खातों में कर रहे है, वे ही इसका निवारण कर पायेंगे ताकि बैंक पास बुक मे योजना का नाम दर्ज हो सकें इस संबंध में भामाशाह योजना के लाभों का अंतरण DOIT से किया जा रहा है तथा विभाग से इस संबंध मे बात कर हल निकालने का आश्वासन दिया।

National Urban Livelihood Mission (NULM):

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य हेतु योजनान्तर्गत 10,000 (व्यक्तिगत लाभार्थी) व 200 (स्वंय सहायता समूह) के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

सम्बन्धित विभाग द्वारा 9962 आवेदन पत्र बैंको को भिजवाये गये, जिसके सापेक्ष 1519 मामलों में स्वीकृति प्रदान की जाकर 706 मामलों में वितरण किया गया।

इस क्रम में संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण तथा स्वीकृत मामलों में वितरण हेतु सदस्य बैंकों से अनुरोध किया। समस्त बैंकों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें तथा प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार तीव्रता से निस्तारण करें।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

उप निदेशक, उद्योग ने लम्बित स्वीकृत मामलों में आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण, स्वीकृत मामलों को वितरण तथा नोडल शाखाओं से मार्जिन मनी क्लेम करने हेतु अनुरोध किया गया।

उप निदेशक, उद्योग ने PMEGP योजनांतर्गत स्वीकृति, वितरण, Rejection इत्यादि से सम्बंधित सूचनाएं eTracking पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु अनुरोध किया तथा अवगत करवाया कि PMEGP योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के सभी आवेदनों में मार्जिन राशि का क्लेम 31.03.2016 से पूर्व वितरण कर किया जाना होगा तत्पश्चात मार्जिन राशि का क्लेम उपलब्ध नही होगा।

उप निदेशक, उद्योग ने भामाशाह रोजगार सृजन योजना को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ अंगीकार करते हुए ऋण प्राप्त आवेदकों को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने हेतु सूचित किया तथा बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में स्वीकृत ऋण लाभार्थी जो भामाशाह रोजगार सृजन योजनांतर्गत हेतु भी पात्र हैं कि सूचना सम्बंधित जिला उद्योग केंद्रों को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया तथा अवगत करवाया कि को-ऑपरेटिव बैंको को पूर्व मे भामाशाह रोजगार सृजन योजना में शामिल किया था, किंतु को-ऑपरेटिव बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत वित्त पोषण हेतु पात्रता नही रखने के फलस्वरूप भामाशाह रोजगार सृजन योजना से भी पृथक करने के निर्णय से सूचित किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी नोडल विभागों से योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों की शाखावार सूची बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों को भिजवाने हेतु अनुरोध किया जिससे कि नियंत्रक कार्यालयों द्वारा शाखाओं से फोलोअप कर लम्बित आवेदनो का शीघ्र निस्तारण करवाया जा सकें। इस क्रम में उन्होनें नोडल विभागों से शाखाओं में आवेदन अग्रेषित करते समय उसकी सूचना नियंत्रक कार्यालय को भी उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

एजेण्डा क्रमांक – 6:

Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC):

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

सदन को वर्ष 2015-16 में दिसम्बर माह तक आर-सेटी द्वारा 22021 उम्मीद्वारों को प्रशिक्षित करने तथा उनमें से 7357 उम्मीद्वारों से Settlement के बारें अवगत करवाया गया। राज्य में सभी आर-सेटी द्वारा दिसम्बर 2015 तक प्रशिक्षित कुल उम्मीद्वारों की Settlement Rate 68% रही है, जिसमें से 47.14 % उम्मीद्वार बैंक फॉयनेंस द्वारा Settled किये गये है।

राज्य निदेशक, आर-सेटी द्वारा सदन को आर-सेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसम्बर माह तक किये गये कार्य की प्रगति से अवगत करवाया गया तथा आर- सेटी द्वारा क्रेडिट लिंकेज हेतु शाखाओं को भेजे गये आवेदनों के लम्बे समय से लम्बित रहने एवं कुछ शाखाओं द्वारा आवेदनों को समुचित कारण के अभाव में भी लौटाये जाने से सूचित किया। इस क्रम में उन्होनें आर-सेटी द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र शाखा स्तर पर अस्वीकार नही किये जाकर अगले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने की व्यवस्था स्थापित करने हेतु सदन से अनुरोध किया।

इस सम्बंध में बैठक के अध्यक्ष ने राज्य निदेशक, आर-सेटी को विभिन्न बैंकों की शाखाओं द्वारा लौटाये गये 50 आवेदन एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जिससे कि लौटाये गये आवेदनों के वास्तविक कारणों के बारे में जानकारी लेकर कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही: राज्य निदेशक, आर-सेटी)

एजेण्डा क्रमांक – Table Agenda

प्रधानमंत्री आवास योजना : प्रतिनिधि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियांवयन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक को केंद्रीय नोडल एजेन्सी बनाया गया हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत LIG एवं EWS हाउसिंग पात्र हैं। उन्होनें प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाते हुए तथा सभी नियंत्रक बैंको से योजना की सम्पूर्ण जानकारी से सभी शाखाओं को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया।

बैठक के अध्यक्ष, ने योजनान्तर्गत अनुमोदन चक्र (Approval Cycle) में लगने वाले समय पर असंतोष जाहिर करते हुए बताया कि अनुमोदन में ज्यादा समय लगने से Cost बढ़ती है तथा उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

इन्दिरा आवास योजना : प्रतिनिधि, ग्रामीण योजना ने इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण लोगों को अनुदान मुहैया करवाना है तथा योजनांतर्गत समस्त नॉन-सीबीएस बैंक खाते सीबीएस आधारित बैंक खातों में परिवर्तन हेतु सीबीएस आधारित बैंकों से सहयोग एवं नवीन खाते खोलने को प्राथमिकता देने हेतु अनुरोध किया तथा लाभार्थियों के मोबाईल नम्बर खाता खोलते समय आवश्यक रूप से इन्द्राज करके उन्हे एसएमएस सुविधा मुहैया करवाने हेतु सभी बैंको से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

बैठक के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बडौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी बैंकों व राज्य व भारत सरकार के विभागों से आग्रह किया कि किसी भी मुद्दे के समाधान हेतु एस.एल.बी.सी. मिटिंग की प्रतीक्षा नहीं किये जाकर अलग से भी सम्पर्क किया जा सकता है, जिससे कि तिमाही आधार पर आयोजित बैठकों के दौरान विकासपरक एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सारगामी चर्चा की जा सके।

बैठक का समापन उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया।

****